

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 697] नई दिल्ली, स

No. 6971

नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 2, 2019/अग्रहायण 11, 1941

NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 2, 2019/AGRAHAYANA 11, 1941

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 नवम्बर, 2019

सा.का.नि. 886(अ).—केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित प्रारूप नियम, जिसे केंद्रीय सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 64 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाने का प्रस्ताव करती है, को उक्त अधिनियम की धारा 212 की उप-धारा (1) द्वारा यथापेक्षित उनके द्वारा संभाव्य प्रस्तावित सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है और नोटिस दिया जाता है कि उक्त प्रारूप नियमों पर उस तारीख से जब इस अधिसूचना की प्रतियां, भारत के राजपत्र में यथाप्रकाशित, आम जनता को उपलब्ध कराई जाती हैं, से तीस दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात विचार किया जाएगा।

- 2. इन प्रारूप नियमों के बारे में आक्षेप या सुझाव, जो किसी व्यक्ति से उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के भीतर प्राप्त किए जाते हैं, पर केंद्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।
- 3. आक्षेप या सुझाव, यदि कोई हों, संयुक्त सचिव (एमवीएल), सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, 1, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 को ऊपर विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर भेजे जा सकेंगे अथवा jspb-morth@gov.in; पर ई-मेल किए जा सकेंगे।

प्रारूप नियम

- 1. **संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ** (1) इन नियमों को केंद्रीय मोटर यान (......संशोधन) नियम, 2019 कहा जा सकता है।
 - (2) ये नियम 01 अप्रैल, 2020 से लागू होंगे।
- 2. केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 (इसमें इसके पश्चात उक्त नियमों के रूप में उल्लिखित) में:-

6206 GI/2019 (1)

	(क) प्रपत्र 20 में क्रम सं. 5 नामत: "5. वर्तमान पते पर निवास की अवधि" के पश्चात निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा नामत:-
	"5(क). वाहन के मालिक का मोबाइल नंबर";
	(ख) प्रपत्र 23क में शब्दों और आंकड़ों नामत: "5.4 पैन नंबर (वैकल्पिक)" के पश्चात निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा नामत: -
	"5.5 मोबाइल नंबर (वैकल्पिक)";
	(ग) प्रपत्र में 24 में क्र. सं. 3 में शब्द नामत: "(अस्थायी)", के पश्चात निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा नामत:-
	"मालिक का मोबाइल नंबर";
(ঘ)	प्रपत्र 25 में शब्दों और आंकड़ों नामतः, " मैं" के पश्चात और शब्दों और आंकड़ों नामतः "एतदद्वारा पंजीकरण प्रमाण पत्र के नवीकरण के लिए आवेदन आवेदन करता हूं, जो संलग्न है, जिसका विवरण इस प्रकार हैं: -", से पूर्व शब्दों और आंकड़ों "मोबाइल नंबर", को प्रतिस्थापित किया जाएगा
(ड.)	प्रपत्र 26 में शब्दों और आंकड़ों नामत: "मैं/हम एतद्वारा घोषणा करता/करते हैं कि मैं/हम
	"मेरा/हमारा मोबाइल नंबर है";
(च)	प्रपत्र 27 में शब्दों और आंकड़ों नामतः "यदि" "कोषाध्यक्ष द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र को स्वीकार नहीं किया गया तो आवेदक इस आवेदन के साथ धारा 51 की उप-धारा (8) के तहत यथा अपेक्षित एक घोषणा पत्र दायर करेगा" के पश्चात निम्नलिखित पैराग्राफ अंतःस्थापित किया जाएगा नामतः-
	"मेरा/हमारा मोबाइल नंबर है";
(छ)	प्रपत्र 28 के भाग । में शब्दों और आंकड़ों नामत: "2. पुत्र/पत्नी/पुत्री श्री", के पश्चात निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा नामत:-
	"2क. वाहन के मालिक का मोबाइल नंबर";
(ज)	प्रपत्र 30 के भाग ।। में शब्दों और आंकड़ों नामत: "स्थानांतरी का नाम पुत्र/ पत्नी/पुत्री श्रीआयु " के पश्चात और शब्दों और आंकड़ों नामत: "पूरा पता " से पूर्व शब्दों और आंकड़ों नामत: "मोबाइल नंबर" अंत:स्थापित किया जाएगा;
(झ)	प्रपत्र 31 में शब्दों और आंकड़ों नामत: "5. अपने उत्तराधिकार का प्रमाण", के पश्चात निम्नलिखित पैराग्राफ अंत:स्थापित किया जाएगा नामत:-
	"6. नए मालिक का मोबाइल नंबर";
(ञ)	प्रपत्र 32 में शब्दों और आंकड़ों नामत: "मैं/हम नियम 57 के उप नियम (1) के तहत मेरे/हमारे द्वारा प्रस्तुत करने हेतु अपेक्षित दस्तावेज संलग्न करते हैं", के पश्चात निम्नलिखित पैराग्राफ अंत:स्थापित किया जाएगा नामत:-
	"मेरा/हमारा मोबाइल नंबर है";
(ट)	प्रपत्र 33 में शब्दों और आंकड़ों नामत: "वर्तमान पता नीचे दिया गया है (दर्ज किया जाने वाला प्रमाण) ", के पश्चात निम्नलिखित पैराग्राफ अंत:स्थापित किया जाएगा नामत:-
	"मेरा/हमारा मोबाइल नंबर है";
(ਠ)	प्रपत्र 34 में शब्दों और आंकड़ों नामतः "हमारा अनुरोध है कि पंजीकरण प्रमाण पत्र में समझौते की प्रविष्टि की जाए और अपने कार्यालय में प्रासंगिक अभिलेख रखे जाए", के पश्चात निम्नलिखित पैराग्राफ अंत∶स्थापित किया जाएगा नामत:-
	"मेरा/हमारा मोबाइल नंबर है";

(ड) प्रपत्र 35 में शब्दों और आंकड़ों नामत: "पंजीकरण प्रमाण पत्र शुल्क के साथ संलग्न है।", से पूर्व निम्नलिखित पैराग्राफ अंत:स्थापित किया जाएगा नामत:-
"मेरा/हमारा मोबाइल नंबर है";
(ढ) प्रपत्र 36 में शब्दों और आंकड़ों नामत: "की प्रतिलिपि", से पूर्व निम्नलिखित पैराग्राफ अंत:स्थापित किया जाएगा नामत:-
"मेरा/हमारा मोबाइल नंबर है";
(ण) प्रपत्र 42 में शब्दों और आंकड़ों नामत: " 2. पंजीकृत मालिक के रूप में पंजीकृत किए जाने वाले व्यक्ति की आयु" के पश्चात निम्नलिखित पैराग्राफ अंत:स्थापित किया जाएगा नामत:-
"2क. पंजीकृत मालिक के रूप में पंजीकृत किए जाने वाले व्यक्ति का मोबाइल नंबर ";
(त) प्रपत्र 44 में शब्दों और आंकड़ों नामत: "मैं वाहन के पंजीकरण का प्रमाण पत्र और फिटनेस का प्रमाण पत्र* संलग्न करता हूं" से पूर्व निम्नलिखित पैराग्राफ अंत:स्थापित किया जाएगा नामत:-
"मेरा मोबाइल नंबर है ";
[सं. आरटी-11036/74/2019-एमवीएल]
प्रियांक भारती, संयुक्त सचिव
टिप्पण: मूल नियमों को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (i) में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 590(अ), दिनांकित 2 जून, 1989 द्वारा प्रकाशित किया गया था और पिछली बार संशोधन अधिसूचना संख्या द्वारा किया गया था।
MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS
NOTIFICATION
New Delhi, the 29th November, 2019
G.S.R 886(E). —The following draft of certain rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by Section 64 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988) is hereby published as required by sub-section (1) of Section 212 of the said Act for information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft rules shall be taken into consideration after the expiry of a period of 30 days from the date on which the copies of this notification as published in the Gazette of India, are made available to the public.
The objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft rules before the expiry of the period aforesaid will be considered by the Central Government;

Objections and suggestions to these draft rules, if any, may be sent to the Joint Secretary (MVL), email: jspb-morth@gov.in, Ministry of Road Transport and Highways, Transport Bhawan, Parliament Street, New Delhi-110 001.

DRAFT RULES

1.	Short title and commencement.—(1)	These	rules	may	be	called	as	the	Central	Motor	Vehicles
	(Amendment) Rules, 2019;										
	(2) They shall come into force on 1 st April 2	020.									

- In the Central Motor Vehicles Rules, 1989 (herein after referred as the said rules)
 - (a) in Form 20, after sr. no. 5 namely "5. If place of birth is outside India, when migrated to India" following shall be inserted namely.-
 - "5(A). Mobile number of the owner of the vehicle;

4		THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY [PART II—Sec. 3(i)]
	(b) i	n Form 23A, after the words and figure namely "5.4 PAN Number (optional)" following shall be inserted namely
		"5.5 Mobile Number (optional)";
	(c) i	n Form 24, in sr. no. 3, after the word namely "(temporary)", following shall be inserted namely
		"Mobile number of the owner";
	(d)	in Form 25, after the words and figure namely, "I" and before the words and figurer namely "hereby apply for the renewal of the certificate of registration which is attached, th particulars of which are as follows: -", words and figures "having mobile number" shall be substituted,-
	(e)	in form 26, after the words and figure namely "I/We hereby declare that I/We on (date have filed a complaint (copy enclosed) with the police about the loss of Certificate of Registratio immediately after the loss has been noticed" following paragraph shall be inserted namely
		"My/Our mobile number is";
	(f)	in Form 27, after the words and figure namely "If "No objection Certificate" has been refused by th financier the applicant should file along with this application a declaration as required under subsection (8) of section 51" following paragraph shall be inserted namely
		"My/Our mobile number is";
	(g)	in PART I of Form 28, after the words and figure namely "2. Son/wife/daughter of
		"2a. Mobile number of the owner of the vehicle";
	(h)	in PART II of Form 30, after the words and figure, namely, "Name of the Transferee
	(i)	in Form 31, after the words and figure namely "5. Proof of his succession", following paragraph shall be inserted namely
		"6. Mobile number of the new owner";
	(j)	in Form 32, after the words and figure namely "I/We enclose the documents required to be submitted by me/us under sub-rule (1) of rule 57", following paragraph shall be inserted namely
		"My/Our mobile number is";
	(k)	in Form 33, after the words and figure namely "The present address is given below (evidence to b recorded)", following paragraph shall be inserted namely
		"My/Our mobile number is";
	(1)	in Form 34, after the words and figure namely "We request that an entry of the agreement be made in the certificate of registration and the relevant records in your office.", following paragraph shall be inserted namely.
		"My/Our mobile number is";
	(m)	in Form 35, before the words and figure namely "The certificate of Registration together with the fe is enclosed.", following paragraph shall be inserted namely
		"My/Our mobile number is";
	(n)	in Form 36, before the words and figure namely "Copy of the .", following paragraph shall be inserted namely
		"My/Our mobile number is";
	(o)	in Form 42, after the words and figure namely "2. Age of the person to be registered as registered owner" following paragraph shall be inserted namely

[भाग II—खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण 5

	"2a. Mobile number of the person to be registered as registered owner";
(p)	in Form 44 before the words and figure namely "I enclose the certificate of registration and certificate of fitness* of the vehicle" following paragraph shall be inserted namely.
	"My mobile number is";
	[No. RT-11036/74/2019-MVL]
	PRIYANK BHARTI, Jt. Secy.
Note:	The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3,